



- **भुगतान अवसंरचनाओं को आपस में जोड़ना:** नरिबाध लेनदेन के लिये **राष्ट्रीय प्रणालियों को जोड़ना** है, लेकिन इसमें तकनीकी और नयामक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **पीयर-टू-पीयर प्रणालियाँ:** प्रत्यक्ष भुगतान के लिये **वतिरति खाता बही जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग** करती हैं, जो पारंपरिक अकुशलताओं के लिये एक संभावित समाधान प्रदान करती हैं।
- **नये युग के मॉडल:**
  - **तीव्र भुगतान प्रणालियों (FPS) को जोड़ना:** सगिपुर और थाईलैंड के बीच पेनाउ-प्रॉम्पटपे लक्रेज तथा **भारत एवं सगिपुर के बीच UPI-PayNow लक्रेज** जैसी पहल वास्तविक समय में सीमा-पार नधिहस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती हैं।
  - **सेंटरल बैंक डजिटल करेंसी (Central Bank Digital Currencies- CBDC):** अंतरराष्ट्रीय लेनदेन को सुव्यवस्थित करने की क्षमता के लिये CBDC की खोज की जा रही है।
  - **वतिरति खाता प्रौद्योगिकी (DLT):** DLT परयोजनाएँ, जिन्हें अक्सर CBDC के साथ जोड़ा जाता है, का उद्देश्य लेनदेन की गति, सुरक्षा और लागत प्रभावशीलता को बढ़ाना होता है।
    - DLT एक नेटवर्क डेटाबेस में एक साथ पहुँच, सत्यापन और रकिॉर्ड अद्यतन करने की अनुमति देता है, जिससे उपयोगकर्त्ता परिवर्तन देख सकते हैं और यह भी जान सकते हैं कि परिवर्तन कसिने कयि हैं, डेटा का ऑडिट करने की आवश्यकता कम हो जाती है, डेटा की वशि्वसनीयता सुनिश्चित होती है और केवल उन लोगों को पहुँच प्रदान की जाती है, जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है।

## सीमा-पार भुगतान प्रणालियों के संबंध में चुनौतियाँ क्या हैं?

- **कानूनी और वनियामक अनुपालन:** भुगतान को वभिन्न न्यायक्षेत्रों में अलग-अलग घरेलू कानूनों का पालन करना होता है, जिसमें **धन शोधन नविरण** (Anti-Money Laundering- AML), ग्राहक की उचित तत्परता, डेटा साझाकरण तथा नपिटान प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
  - AML और **आतंकवाद-रोधी वतित्तपोषण** (Counter-Terrorist Financing- CFT) ढाँचे के खंडित कार्यान्वयन से तंत्र डजिाइन और कार्यक्षमता में संघर्ष पैदा होता है।
  - **वतितीय सथरिता बोर्ड (FSB) की 2023 रपिोर्ट** में असंगत वायर ट्रांसफर रकिॉर्डकीपगि के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, जो ग्राहक पहचान और प्रतबिंध स्क्रीनिंग को प्रभावित करता है।
- **उच्च लागत:** सीमा-पार लेनदेन में **कई शुल्क शामिल** हो सकते हैं, जिनमें मध्यस्थ बैंकों के शुल्क और मुद्रा रूपांतरण लागत शामिल हैं।
  - लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिये **बैंकों को वभिन्न मुद्राओं में पूंजी रखने की आवश्यकता होती है**, जिससे संसाधन बाधित होते हैं और लागत बढ़ जाती है।
  - प्रचछन्न शुल्क और **अस्पष्ट लागत वविरण** के कारण उपयोगकर्त्ताओं के लिये सीमा-पार लेनदेन की सटीक लागत का नरिधारण करना कठिन हो सकता है।
- **कम गति:** कई मध्यस्थों की भागीदारी और टाइम ज़ोन के अंतर के कारण लेनदेन पूरा होने में **कई दिन लग सकते हैं**। भुगतान प्रणालियाँ वशिषकर स्थानीय व्यावसायिक घंटों (व्यावसाय के लिये नरिधारित अवधि) के दौरान संचालित होती हैं, जिससे वभिन्न समय क्षेत्रों में सीमा-पार भुगतान के प्रसंस्करण में देरी होती है।
  - भुगतान प्रणालियाँ वशिषकर स्थानीय व्यावसायिक घंटों (व्यावसाय के लिये नरिधारित अवधि) के दौरान संचालित होती हैं, जिससे वभिन्न समय क्षेत्रों में सीमा-पार भुगतान के प्रसंस्करण में देरी होती है।
- **सीमति पहुँच:** सभी देशों या क्षेत्रों की कुशल सीमा-पार भुगतान प्रणालियाँ तक पहुँच नहीं है, वशिष रूप से अल्प वकिसति या अल्पसेवित क्षेत्रों में।
  - **बैंकगि सेवाओं या आधुनिक वतितीय प्रौद्योगिकियों तक सीमति पहुँच व्यक्तियों और व्यवसायों की सीमा-पार भुगतान करने या प्राप्त करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकती है।**
- **कम गति:** कई मध्यस्थों की भागीदारी और टाइम ज़ोन के अंतर के कारण लेनदेन पूरा होने में कई दिन लग सकते हैं।
- **खंडित डेटा प्रारूप:** वभिन्न देशों व प्रणालियों के बीच डेटा प्रारूपों एवं मानकों में भिन्नता के कारण भुगतान प्रक्रिया में देरी और त्रुटियाँ हो सकती हैं।
  - वभिन्न अधिकार क्षेत्रों में डेटा की गुणवत्ता और आवश्यकताओं में अंतर लेनदेन की सटीकता एवं दक्षता को प्रभावित कर सकता है।
- **प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म:** कई सीमा-पार भुगतान प्रणालियाँ पुरानी प्रौद्योगिकी पर नरिभर हैं, जो वास्तविक समय प्रसंस्करण या आधुनिक प्रणालियों के साथ एकीकरण हेतु अनुकूलित नहीं है।
  - पुराने प्लेटफॉर्मों में स्वचालन और वास्तविक समय नगिरानी के लिये उन्नत सुविधाओं का अभाव हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अकुशलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **लंबी लेनदेन शृंखला:** भुगतान शृंखला में कई संवाददाता बैंकों की भागीदारी से लागत, देरी और डेटा से छेड़छाड़ का जोखिम बढ़ सकता है।
  - लंबी लेनदेन शृंखलाएँ भुगतान प्रक्रिया को जटिल बना देती हैं और प्रबंधन हेतु अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है।
- **कमजोर प्रतसिपर्द्धा:** नए प्रदाताओं के लिये प्रवेश में उच्च बाधाएँ सीमा-पार भुगतान बाज़ार में प्रतसिपर्द्धा और नवाचार को सीमति कर सकती हैं।

- लागतों का आकलन और तुलना करने में कठिनाई से प्रतस्पर्धी प्रभाव कम हो सकता है तथा अंतमि उपयोगकर्त्ताओं के लिये कीमतें बढ़ सकती हैं।

## भारत में सीमा-पार भुगतान

- भारत वैश्विक धन प्रेषण का एक प्रमुख केंद्र है, जो पर्याप्त सीमा-पार भुगतान प्रवाह को संभालता है, जिसमें लगभग 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आवक धन प्रेषण और 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बाह्य धन प्रेषण शामिल है।
- **सीमा-पार प्रेषण में विकास:**
  - **प्रौद्योगिकी-पूरव युग:** प्रौद्योगिकीय प्रगति से पहले, **अनविासी भारतीय (NRI)** फेडरल बैंक द्वारा जारी डमिंड ड्राफ्ट का उपयोग करते थे, जिसे भुनाने/नकदीकरण के लिये कूरयिर के माध्यम से भेजा जाता था।
  - **ऑनलाइन प्रेषण:** 2000 के दशक के मध्य में **नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT)** शुरू किया गया तथा भारत में खातों में सीधे और सुरक्षित स्थानान्तरण की अनुमति दी गई।
    - NEFT एक राष्ट्रव्यापी केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली है, जिसका स्वामतिव और संचालन **भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI)** के पास है।
  - **IMPS एकीकरण:** NPCI द्वारा **तत्काल भुगतान सेवा (IMPS)** के शुरू होने से 3 मिनट से कम समय में क्रेडिट पूरा किया जा सकेगा, जिससे दक्षता में और वृद्धि होगी
  - **वदिशी आवक धन-प्रेषण के लिये UPI: वदिशी आवक धन-प्रेषण (FIR)** के लिये **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)** के एकीकरण से धन प्रेषण प्रकरिया सरल और नवीन हो गई है।
- **नियामक परिवर्तन:** **RBI** ने आयात और नरियात लेनदेन सहित सीमा-पार भुगतान को सुव्यवस्थित और वनियमिति करने के लिये **सीमा-पार लेनदेन के भुगतान एग्रीगेटर्स (PA-CB वनियमिन)** की शुरुआत की।
- यह नया फ्रेमवर्क पछिले दशानरिदेशों का स्थान लेता है और सीमा-पार भुगतान में शामिल सभी संस्थाओं को RBI की प्रत्यक्ष नगिरानी के अधीन करता है

## सीमा-पार भुगतान में सुधार हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जा रहा है?

- **G-20: G-20** ने लागत कम करने, गति और पारदर्शिता बढ़ाने और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिये **सीमा-पार भुगतान में सुधार को प्राथमकित**ा दी है।
  - **वतितीय स्थरिता बोर्ड (FSB)** द्वारा नरिधारित 11 मातरात्मक लक्ष्यों द्वारा समर्थित सीमा-पार भुगतान को बढ़ाने के लिये वर्ष 2020 रोडमैप का लक्ष्य वर्ष 2027 के अंत तक वैश्विक स्तर पर इन चुनौतियों का समाधान करना है।
  - इन लक्ष्यों में थोक भुगतान, खुदरा भुगतान तथा धनप्रेषण में लेनदेन की गति, लागत, पहुँच और पारदर्शिता शामिल हैं।
- **SWIFT GPI: सोसाइटी फॉर वरलडवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकमयुनिकेशन (SWIFT)** ने सीमा-पार भुगतान की गति और पारदर्शिता बढ़ाने के लिये **ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन (GPI)** की शुरुआत की।
  - यह भुगतानों की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग की अनुमति देता है और यह सुनिश्चित करता है कि धनराशि एक दिन के भीतर स्थानान्तरित हो जाए।
- **प्रोजेक्ट नेक्सस:** इसकी संकल्पना **बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS)** के **इनोवेशन हब** द्वारा की गई है। **प्रोजेक्ट नेक्सस** एक वैश्विक पहल है, जिसे कई घरेलू स्तर की **त्वरति भुगतान प्रणालियों (IPS)** को एकीकृत करके सीमा-पार भुगतान को सुगम बनाने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
  - इस परियोजना का उद्देश्य एक ऐसा मानकीकृत प्लेटफॉर्म विकसित करना है, जो घरेलू **फास्ट पेमेंट सिस्टम (FPS)** को विश्व की अन्य भुगतान प्रणालियों से जोड़े, जिससे सीमा-पार तत्काल भुगतान संभव हो सके।
  - प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्यों में भारत और **दक्षिण-पूरवी एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN)** के चार देश- मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल हैं।
- **वैश्विक भुगतान सेवा प्रदाता: वीज़ा और मास्टरकार्ड** नवीन प्रौद्योगिकियों की सहायता से सीमा-पार भुगतान को उन्नत बना रहे हैं।
  - **वीज़ा का B2B कनेक्ट**, बैंकों के बीच बड़ी राशि के लेनदेन का उसी दिन या अगले दिन निपटान करने हेतु **एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API)** और DLT का उपयोग करता है तथा भुगतान संदेश को सुरक्षा सुविधाओं के साथ एकीकृत करता है।

## वतितीय स्थरिता बोर्ड

- FSB एक अंतरराष्ट्रीय नकिया है, जो वैश्विक वतितीय प्रणाली की नगिरानी और संबंधित अनुशंसाएँ करता है। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में G20 पटिसबर्ग शिखर सम्मेलन में **वतितीय स्थरिता मंच (Financial Stability Forum- FSF)** के परिवर्ती के रूप में की गई थी।
- FSB की सदस्यता में **FSF सदस्यों के साथ-साथ** G20 देश, स्पेन और यूरोपीय आयोग भी शामिल हैं।
- FSB वैश्विक वतितीय प्रणाली में प्रणालीगत भेद्यताओं की पहचान और उनका आकलन करता है।
  - इससे अंतरराष्ट्रीय वतितीय प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु जारी प्रयासों को बल मिलेगा।
- **भारत FSB का सक्रिय सदस्य** है, जिसकी पूरण स्तर में तीन सीटें हैं, जिनकी अध्यक्षता सचिव (आर्थिक कार्य), डिप्टी गवर्नर-RBI और चेरमैन-**भारतीय प्रतभित्ति एवं वनियमि बोर्ड (SEBI)** करते हैं।
- आर्थिक कार्य के वभिाग में **वतितीय स्थरिता और विकास परिषद सचवालय**, FSB के समक्ष भारत के मतों को प्रस्तुत करने के लिये वतितीय क्षेत्तर के वनियामकों एवं अभकिरणों के साथ समन्वय करता है।

